न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00054 RAAJodhpur2020-28RTA223 Rupsingh ors Vs Ummedsingh etc

01. रूपसिंह पुत्र श्री हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह
02. राणीदानसिंह पुत्र श्री हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह
03. समंदकंवर पत्नी पश्री हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह
04. इन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री दीपसिंह
2. उगमसिंह पुत्र श्री दीपसिंह
3. रतनसिंह पुत्र श्री दीपसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

4. शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, शाखा सिहड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री सहायक कलेक्टर बाप द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2020 राजस्व मूल वाद संख्या 86/2015 उम्मेदसिंह व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 16 जनवरी 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2020 राजस्व मूल वाद संख्या 86/2015 उम्मेदसिंह व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 फरवरी 2020 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 90 रकबा 206 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 91 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 92 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 93 रकबा 39 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नं. 142 रकबा 49 बीघा, खसरा नं. 138 रकबा 152 बीघा ग्राम कालूसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05 जून 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 15 जनवरी 2020 को अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री को पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गयी है। विचारण न्यायालय ने विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किये बिना ही दावे में अंतिम डिक्री मनमाने ढंग से जारी कर दी। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा विभाजन प्रस्तावो के विरुद्ध लिखित आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उस प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु पत्रावली में पेशी आगे दी गई, परन्तु उस दिन अंतिम निर्णय ही कर दिया गया जो किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस दिन पत्रावली में अंतिम निर्णय हेतु पेशी मुकर्रर नही थी। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई एवं न मौके पर बुलाया गया जो पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है, जबकि विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारान् की मौजूदगी में ही तैयार किया जा सकता है। पटवारी ने वादीगण के कहे अनुसार मौके पर आये बिना एवं अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना मनमाना प्रस्ताव वादीगण के कहे अनुसार बनाकर पेश कर दिया एवं उसी प्रस्ताव को तहसीलदार ने अपने प्रति हस्ताक्षर कर विचारण न्यायालय को प्रेषित कर दिया जो किसी भी सूरत में नही किया जा सकता था। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने संबंधी संपूर्ण कार्यवाही दूषित हो चुकी थी। विभाजन प्रस्ताव केवल तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, जिसके लिए तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर पक्षकारान् की मौजूदगी में अच्छी एवं बुरी जमीन का तकमीना करते हुए मौके पर नाप इत्यादि करते हुए एवं आवागमन के रास्ते छोड़ते हुए संपूर्ण जोत के लिए विभाजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था, परन्तु इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया एवं पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिया, जिसको विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के कोई अधिकार नहीं थे। तैयार .सुदा विभाजन प्रस्ताव केवल डी पार्ट में रखे जाने योग्य था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 138 रकबा 152 बीघा के 1/2 हिस्से के खातेदार है, परन्तु उसके हिस्से में इस खसरे में केवल 52 बीघा भूमि रखी गई एवं ऐसा करने से अपीलार्थीगण के रहवासीय ढाणियॉ एवं टांके तथा नलकूप इत्यादि भी रेस्पोडेंट के हिस्से में चले जाते है, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2020 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जावे कि विचारण न्यायालय तहसीलदार से विधिवत दोनो पक्षो की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मंगवाये एवं उन पर पक्षकारान् की सुनवाई के बाद दावे में अंतिम डिक्री जारी की जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स अंतिम डिक्री की अपील में हिस्से बाबत कोई उज्र नहीं उठा सकते है तथा न अंतिम डिक्री की अपील में हिस्से का निर्धारण होता है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों में रास्ते का कोई उज्र नहीं है। अपीलांट्स द्वारा विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष वादीगण के दावे का कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का निस्तारण करते हुए पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2008(1) पेज 286 एस.सी., आर.आर.टी. 2007(1) पेज 385 एच.सी., आर.आर.डी. 1990 पेज 364 आर.बी., आर.आर.डी. 1988 पेज 140 एस.सी., आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1397 आर.बी. की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक दिनांक 31.01.2019 को विचारण न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की ओर से 11 अप्रैल 2019 को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ पेश कर निवेदन किया गया कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान टीनेन्सी रूल्स (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार बाप द्वारा प्रतिवादीगण को कोई नोटिस नहीं दिया तथा न ही तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने मौके पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, मात्र काउंटर हस्ताक्षर किये। उक्त विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा .अपने कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया तथा मौके पर कब्जे-काश्त के विपरीत टिनेन्सी रूल्स के प्रावधानों के विपरीत तैयार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2019 को उक्त आपत्तियों को तहसीलदार बाप से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने का हवाला देते हुए खारिज किया जाना पाया जाता है तथा आदेशिका जारी रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया जाना पाया जाता है। प्रतिवादीगण की उक्त आपत्तियॉ खारिज हो जाने के पश्चात उनकी ओर से दिनांक 31.10.2019 को पुनः विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ पेश की गई, जिस पर दिनांक 31.10.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, किंतु उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये बिना ही दिनांक 15 जनवरी 2020 को अपीलाधीन अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.07.2019 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की की पालना में तहसीलदार बाप द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर तथा अपीलांट्स अनुपस्थिति में भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है तथा उस पर तहसीलदार बाप द्वारा काउंटर हस्ताक्षर किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारान् के आवागमन हेतु समुचित रास्ते का भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने मौके पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, मात्र काउंटर हस्ताक्षर किये। उक्त विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया तथा मौके पर कब्जे-काश्त के विपरीत टिनेन्सी रूल्स के प्रावधानों के विपरीत तैयार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2019 को उक्त आपत्तियों को तहसीलदार बाप से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने का हवाला देते हुए खारिज किया जाना पाया जाता है तथा आदेशिका जारी रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया जाना पाया जाता है। प्रतिवादीगण की उक्त आपत्तियॉं खारिज हो जाने के पश्चात उनकी ओर से दिनांक 31.10.2019 को पुनः विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉं पेश की गई, जिस पर दिनांक 31.10.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, किंतु उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये बिना ही दिनांक 15 जनवरी 2020 को अपीलाधीन अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.07.2019 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की की पालना में तहसीलदार बाप द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर तथा अपीलांट्स अनुपस्थिति में भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है तथा उस पर तहसीलदार बाप द्वारा काउंटर हस्ताक्षर किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारान् के आवागमन हेतु समुचित रास्ते का भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रावधान रखा जाना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की आपत्तियों का निस्तारण किये बिना उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो के तथ्य प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यो से भिन्न होने से मामले पर लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 जनवरी 2020 राजस्व मूल वाद संख्या 86/2015 उम्मेदसिंह व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार बाप से विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुए दोनो पक्षो की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् की सुनवाई के बाद दावे में 03 माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25 जनवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर